

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक-एफ 7(1)(1)/पंचा/रानिआ/14-15/ 444

दिनांक:- 12/01/15

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 - चुनाव के दौरान वीडियोग्राफी के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत कुछ जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन के दौरान विभिन्न गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराने के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि निर्वाचन के दौरान वीडियोग्राफी कराने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के पत्रांक 9926 दिनांक 28.12.2014 के द्वारा प्रदान किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 हेतु वीडियोग्राफी की व्यय सीमा के निर्धारण हेतु जारी किए गए पत्रांक 163/05.01.2015 के द्वारा वीडियोग्राफर की संख्या निर्धारित कर यह भी स्पष्ट किया गया है कि मतदान दिवस पर जिला निर्वाचन अधिकारी संवेदनशील/असंवेदनशील बूथों की वीडियोग्राफी के लिए स्व-विवेक से अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे।

नगर निकाय चुनाव, 2014 के समय उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 11502 दिनांक 05.11.2014 (प्रति संलग्न) के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व के वीडियो कैमरे भी नगर निकाय आम चुनाव, 2014 एवं पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2015 हेतु वीडियोग्राफी हेतु उपयोग में लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में इन वीडियो कैमरों का उपयोग भी आप

अतः वीडियोग्राफी के संबंध में तदनु रूप कार्यवाही की जाए।


(सत्यप्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव 12/01/15

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्र. प. 1(15)आ/सी/निर्वा/08/ 11502 जयपुर, दिनांक
प्रेषक :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

5.11.14

प्रेषिति :- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर)

विषय :- स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतू विडियो कैमरे
उपयोग में लिये जाने की अनुमति बाबत ।

प्रसंग :- राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या 4992/27-10-2014 के क्रम में।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र के क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतू
विडियो कैमरे उपयोग में लिये जाने की अनुमति चाही थी । अतः आगामी स्थानीय निकाय
एवं पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव हेतू विडियो कैमरे उपयोग में लिये जाने की
अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है ।

इसके अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) कार्यालयों से यह भी निवेदन
है कि विभागीय पत्र संख्या 8418/12.11.13 द्वारा विडियो कैमरों के क्रय हेतू बजट आवंटन
किया गया था । अतः विभाग को क्रय किये गये विडियो कैमरों की संख्या से अवगत
कराते हुए स्टॉक एन्ट्री की सूचना कर लिये जाने की अविलम्ब सूचना भिजवाने का श्रम
करें ।

भवदीय

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

क्र. प. 1(15)आ/सी/निर्वा/08/

जयपुर, दिनांक

11.14

प्रतिलिपी :- मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर
को पत्रांक 4992/27.10.14 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।

उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर